

24 Hours का नया नियम

अब थाने में बैठाकर पुलिस

नहीं कर पायेगी टॉर्चर

BY - SUNIL VERMA SIR

Jagran

हिरासत में लेते ही शुरू होगी 24 घंटे की उलटी गिनती, औपचारिक गिरफ्तारी का इंतजार नहीं, SC का बड़ा फैसला - 24 hour countdown will begin the moment custody is taken there is no need to...



सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने...

1 hour ago

ABP News

हिरासत के समय पर SC का बड़ा फैसला, 24 घंटे की गिनती उसी समय से शुरू होगी, जब पकड़ा गया



सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि किसी आरोपी को 24 घंटे के अंदर...

1 hour ago

Dainik Bhaskar

हिरासत में लेते ही शुरू होगी 24 घंटे की समयसीमा: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- जांच एजेंसी गिरफ्तारी दर्ज होने का...



Supreme Court 24-hour custody rule update for arrest. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि...

35 minutes ago

Law Trend

मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समयसीमा औपचारिक गिरफ्तारी नहीं, वास्तविक हिरासत से शुरू होगी: सुप्रीम कोर्ट



सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के...

5 minutes ago

Live Law Hindi

BREAKING| मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा 'गिरफ्तारी' से नहीं, 'हिरासत' में लिए जाने...



सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'गिरफ्तारी' (Arrest) और 'हिरासत' (Detention) के बीच किए जाने...

12 hours ago

LawBeat

Article 22 Clock Starts At Detention, Not Formal Arrest: Supreme Court Lays Down Duties For Magistrates...



A Bench of Justices Ujjal Bhuyan and Atul S Chandurkar held that the 24-hour period for producing an arrested person before a Magistrate ran...

41 minutes ago

Bar and Bench

24-hour period to produce accused before magistrate starts with detention, not formal arrest: Supreme Court



The Supreme Court has ruled that the 24-hour constitutional deadline for producing an arrested person before a magistrate for remand begins...

1 hour ago

AP7AM

24-hour deadline to produce accused before Magistrate runs from actual detention, not formal arrest: SC



The Supreme Court has ruled that the 24-hour constitutional deadline for producing an arrested person before a Magistrate begins from the...

59 minutes ago

Law Trend

24-Hour Deadline for Magistrate Production Starts From Actual Detention, Not Formal Arrest: Supreme Court



The Supreme Court has held that the constitutional requirement to produce an arrested person before a magistrate within 24 hours takes...

10 minutes ago

LawChakra

24-Hour Deadline Runs From Detention, Not Formal Arrest: Supreme Court Frees NDPS Accused



24-hour deadline runs from detention, the Supreme Court held, ruling that pre-arrest custody counts under Article 22(2) and ordering four...

26 minutes ago

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 (Article 22)



भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 22 (Article 22)** देश के प्रत्येक नागरिक और व्यक्ति को **गिरफ्तारी और हिरासत (Arrest and Detention)** के खिलाफ **महत्वपूर्ण सुरक्षा और मौलिक अधिकार** प्रदान करता है।

यह अनुच्छेद मनमानी गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत के दुरुपयोग को रोकता है।



अनुच्छेद 22 को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है:

- **धारा (1) और (2):** सामान्य या **दंडात्मक हिरासत (Punitive Detention)** से जुड़े अधिकार — यानी जब किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया हो या उस पर अपराध का आरोप लगा हो और उसे गिरफ्तार किया जाए।
- **धारा (4) से (7):** **निवारक हिरासत (Preventive Detention)** से जुड़े प्रावधान — यानी जब किसी व्यक्ति को बिना अपराध किए केवल इस आशंका में गिरफ्तार किया जाए कि वह भविष्य में कोई अपराध कर सकता है या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

भाग 1: सामान्य गिरफ्तारी और हिरासत के अधिकार (धारा 1 और 2)



- **गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार (Right to be Informed):**
 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसे किस जुर्म या कारण के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को तुरंत कारण बताना होगा।

- **कानूनी सलाह और वकील का अधिकार (Right to Legal Counsel):**
 गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी वकील से सलाह ले सकता है और अपना बचाव करवा सकता है।

- **24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार (Production before Magistrate):**
 - पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर (यात्रा के समय को छोड़कर) सबसे नजदीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate) के सामने पेश करना अनिवार्य है।
 - मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

- **मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आगे हिरासत नहीं (Release after 24 Hours):**
 यदि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता या मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत की अनुमति नहीं देते, तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा।

अपवाद: यह सुरक्षा **शत्रु देश के नागरिकों (Enemy Aliens)** और **निवारक हिरासत (Preventive Detention)** के तहत गिरफ्तार लोगों पर लागू नहीं होती है।

भाग 2: निवारक हिरासत (Preventive Detention - धारा 4 से 7)





निवारक हिरासत का मतलब है—**अपराध होने से पहले ही व्यक्ति को हिरासत में ले लेना,** ताकि वह भविष्य में कोई गंभीर अपराध (जैसे देश की सुरक्षा को खतरा, आतंकवाद, कानून-व्यवस्था बिगाड़ना आदि) न कर सके। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक **एहतियाती कदम** है।

- **समय सीमा:** किसी भी व्यक्ति को निवारक हिरासत में **3 महीने** से अधिक समय तक तब तक नहीं रखा जा सकता, जब तक कि कोई सलाहकार बोर्ड (Advisory Board जिसमें हाईकोर्ट के जज या योग्य व्यक्ति हों) इस बात की अनुमति न दे कि उसे और आगे रखने का पर्याप्त कारण है।

- **कारण बताना:** हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का आधार (Grounds) बताया जाना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जिन्हें सार्वजनिक हित के खिलाफ माना जाए।

- **प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व का अवसर:** व्यक्ति को अपनी हिरासत के खिलाफ जल्द से जल्द अपनी बात रखने (Representation) का अवसर दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय (Supreme Court Judgments)





सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर अनुच्छेद 22 के दायरे को और मजबूत किया है ताकि **नागरिकों के अधिकारों** की रक्षा हो सके:

डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)
(D.K. Basu v. State of West Bengal)

- **महत्व:** यह गिरफ्तारी के मामलों में एक मील का पत्थर निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत और गिरफ्तारी के लिए **11 सख्त दिशा-निर्देश** जारी किए।

- **फैसला:** कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारियों को **स्पष्ट पहचान-पत्र** पहनना चाहिए, गिरफ्तारी का मेमो (Memo) तैयार होना चाहिए जिसके गवाह परिवार के सदस्य या प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, और गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।



2. हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) (Hussainara Khatoon v. State of Bihar)

- **महत्व:** यह मामला त्वरित न्याय और कानूनी सहायता से जुड़ा है।
- **फैसला:** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid) पाना **अनुच्छेद 21** (जीवन का अधिकार) और **अनुच्छेद 22(1)** का एक अनिवार्य हिस्सा है, ताकि गरीब व्यक्ति भी वकील की कमी के कारण न्याय से वंचित न रहे।



3. डी.के. त्रिपाठी बनाम दिल्ली सरकार (2001) / या अन्य निवारक हिरासत के मामले (जैसे ए.के. गोपालन मामला)

- **महत्व:** निवारक हिरासत (Preventive Detention) के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा यह कहा है कि चूंकि यह कानून व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) छीनता है, इसलिए इसकी प्रक्रिया का **कड़ाई से पालन** होना चाहिए। यदि प्रक्रिया में छोटी सी भी तकनीकी चूक या देरी होती है, तो हिरासत को अवैध घोषित कर दिया जाता है।

'आरोपी को हिरासत में लेते ही लागू होगी 24 घंटे की समय सीमा', सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला



- गिरफ्तारी की **24 घंटे की समय-सीमा** पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि किसी भी शख्स की गिरफ्तारी का समय उसके **हिरासत में लेते ही शुरू** हो जाएगा। 24 घंटे में जज के सामने पेशी का वक्त उसकी आधिकारिक गिरफ्तारी से नहीं माना जाएगा, इसके लिए उसे **हिरासत में लेने का वक्त ही मान्य** होगा।



- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि **24 घंटे की वह अवधि,** जिसके भीतर किसी आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, **हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू** होती है, न कि केवल औपचारिक गिरफ्तारी के समय से।

संवैधानिक सुरक्षा के लिहाज से गिरफ्तारी और हिरासत दोनों एक ही बात



- अदालत ने माना कि इस संवैधानिक सुरक्षा के लिहाज से गिरफ्तारी और हिरासत दोनों **एक ही बात है**। कोर्ट ने कहा कि दोनों ही हालात में **व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित** हो जाती है। अदालत ने कहा कि हिरासत और गिरफ्तारी के बीच कोई फर्क करने की कोशिश करना **संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है**।

मौलिक अधिकारों को मिले प्राथमिकता



- एक दूसरी अहम टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में देरी और जमानत देने के मामलों में **आरोपी के मौलिक अधिकारों** को विशेष कानूनों के प्रावधानों पर **प्राथमिकता** दी जानी चाहिए।



- कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम **(UAPA)**, 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' **(NDPS)** अधिनियम और 'मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम' **(PMLA)** जैसे कानूनों के तहत जमानत पर आए विरोधाभासी फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि **आरोपी के संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता** दी जानी चाहिए।

गिरफ्तारी और हिरासत में सीमित हो जाती है स्वतंत्रता



- कोर्ट ने साफ किया कि विशेष कानूनों का इस्तेमाल **संविधान की व्याख्या** करने के आधार के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, ऐसे कानूनों की व्याख्या **संवैधानिक सिद्धांतों** के अनुरूप ही की जानी चाहिए।



- कोर्ट ने कहा कि इस संवैधानिक सुरक्षा के लिहाज से **गिरफ्तारी और हिरासत** असल में एक ही हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में **व्यक्ति की स्वतंत्रता** एक हद तक सीमित हो जाती है।



डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)

के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत (Police Custody), पूछताछ और गिरफ्तारी के दौरान होने वाले मानवाधिकारों के हनन और थर्ड-डिग्री टॉर्चर को रोकने के लिए **11 सख्त दिशा-निर्देश (Guidelines)** जारी किए थे।



पुलिस अधिकारियों की स्पष्ट पहचान (Identification of Police Personnel)

- **नियम:** गिरफ्तारी और पूछताछ करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को अपनी पहचान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
- **विवरण:** उनके नाम के नेमप्लेट (Name Tag) और पद (Designation) की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही, गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों की पूरी जानकारी उस रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए जो इस काम के लिए विशेष रूप से रखा गया हो।



2. गिरफ्तारी का मेमो तैयार करना (Memeo of Arrest)

- **नियम:** पुलिस को गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक 'अरेस्ट मेमो' (Arrest Memo) तैयार करना होगा।

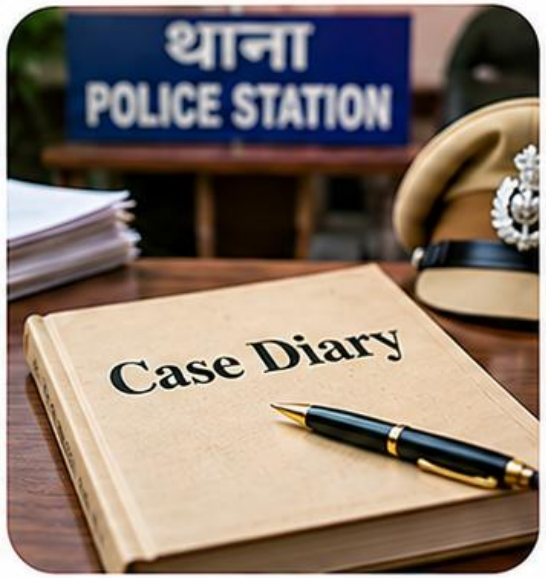
- **विवरण:** इस मेमो पर कम से कम **एक गवाह के हस्ताक्षर** होने चाहिए। गवाह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है या इलाके का कोई सम्मानित स्थानीय व्यक्ति। इसके अलावा, इस पर गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। मेमो पर गिरफ्तारी का सटीक समय और तारीख स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए।



3. परिवार या मित्र को सूचना देने का अधिकार (Right to Inform Family/Friends)

- **नियम:** गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसके परिवार के किसी सदस्य, रिश्तेदार या मित्र को उसकी गिरफ्तारी और उसे रखे जाने वाले स्थान (Police Station/ Lockup) की सूचना दी जाए।

- **विवरण:** यदि गिरफ्तार व्यक्ति का संबंधी या मित्र किसी दूसरे शहर या जिले में रहता है, तो पुलिस को गिरफ्तारी के 8 से 12 **घंटे** के भीतर टेलीग्राफ, फैक्स या वायरलेस संदेश के जरिए उसकी जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंचानी होगी।



4. गिरफ्तारी की जानकारी डायरी में दर्ज करना (Entry in Case Diary)

- **नियम:** गिरफ्तारी के समय, जिस व्यक्ति को सूचित किया गया है, उसका नाम, पता और पुलिस अधिकारी का विवरण थाने की आधिकारिक डायरी (Case Diary) में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
- **विवरण:** इसमें उस पुलिस अधिकारी का नाम और विवरण भी दर्ज होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है।



5. गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण (Medical Examination at the Time of Arrest)

- **नियम:** गिरफ्तारी के तुरंत बाद (और उसके बाद हर **48 घंटे** के भीतर पुलिस हिरासत के दौरान) गिरफ्तार व्यक्ति का डॉक्टर द्वारा चिकितरकीय परीक्षण (Medical Examination) कराया जाना अनिवार्य है।
- **विवरण:** इस परीक्षण के दौरान व्यक्ति के शरीर पर पहले से मौजूद किसी भी प्रकार की चोट या गंभीर बीमारी को **'इंसपेक्शन मेमो'** (Inspection Memo) में दर्ज किया जाएगा। इस पर पुलिस अधिकारी और गिरफ्तार व्यक्ति दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए।



6. समय-समय पर मेडिकल चेकअप (Periodic Medical Check-up)

- **नियम:** पुलिस हिरासत के पूरे समय के दौरान, हर **48 घंटे** के अंतराल पर एक अधिकृत पैनल के डॉक्टर द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए।



7. दस्तावेजों को मजिस्ट्रेट के पास भेजना (Copies of Documents to Magistrate)

- **नियम:** अरेस्ट मेमो, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सभी तैयार किए गए दस्तावेजों की प्रतियां (Copies) संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate) के पास रिकॉर्ड के लिए भेजी जानी चाहिए।



8. वकील से मिलने का अधिकार (Right to Meet a Lawyer)

- **नियम:** पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का अधिकार है, हालांकि यह अधिकार पूरी पूछताछ के दौरान हर समय लागू नहीं होता, बल्कि पूछताछ के कुछ समय के लिए वकील से सलाह ली जा सकती है।



9. पुलिस नियंत्रण कक्ष (Police Control Room) को सूचना देना

- **नियम:** हर जिला और राज्य मुख्यालय में एक 'पुलिस नियंत्रण कक्ष' (Police Control Room) बनाया जाना चाहिए।
- **विवरण:** पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना मिलने के **12 घंटे** के भीतर जिला नियंत्रण कक्ष को इसकी जानकारी वायरलेस या अन्य माध्यम से देनी होगी, जिसे नियंत्रण कक्ष के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि परिवार के लोग आसानी से पता लगा सकें।



10. पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति (Right to Consult Counsel during Interrogation)

- **नियम:** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि लगातार वकील की मौजूदगी में पूछताछ की अनुमति नहीं है, लेकिन पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।



11. इन नियमों का पालन न करने पर परिणाम (Consequences of Non-Compliance)

- **नियम:** यदि कोई भी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक कर्मचारी इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ **न्यायालय की अवमानना** (Contempt of Court) की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, **विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई** (Departmental Action) और हर्जाने की कानूनी कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है।







1. पुलिस के अनुसार 'गिरफ्तारी' (Arrest) क्या है?

पुलिस की भाषा में गिरफ्तारी एक **औपचारिक और कानूनी प्रक्रिया (Formal Legal Process)** है।

- **अर्थ:** जब किसी व्यक्ति पर किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offense) को करने का गंभीर संदेह या आरोप होता है, और पुलिस उसे कानूनन अपने अधिकार में लेती है, तो उसे 'गिरफ्तारी' कहा जाता है।
- **कानूनी स्थिति:** गिरफ्तारी के साथ ही उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर औपचारिक रूप से कानूनी रोक लग जाती है।
- **अधिकार और औपचारिकताएं:** गिरफ्तारी के बाद पुलिस के लिए कानूनी रूप से यह अनिवार्य हो जाता है कि वह व्यक्ति को **24 घंटे** के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे (जैसा कि अनुच्छेद 22 में बताया गया है), उसे गिरफ्तारी का कारण बताए, उसके परिवार को सूचित करे और उसका मेडिकल परीक्षण कराए।



पारंपरिक रूप से पुलिस 'हिरासत' शब्द का इस्तेमाल एक व्यापक अर्थ में करती है, जिसमें **नियंत्रण या कब्जे (Physical Control)** की बात होती है।



- **अर्थ:** हिरासत का मतलब है कि कोई व्यक्ति पुलिस या कानून के शारीरिक नियंत्रण या निगरानी में है।

- **पुलिस का पारंपरिक नजरिया:** पुलिस अक्सर पूछताछ (Interrogation) या जांच के नाम पर किसी व्यक्ति को थाने ले आती थी और कई बार अनौपचारिक रूप से उसे बैठा कर रखती थी।



पुलिस इसे 'औपचारिक गिरफ्तारी' नहीं मानती थी और उनका तर्क होता था कि

"हम तो केवल पूछताछ के लिए हिरासत में लाए हैं, गिरफ्तार नहीं किया है।"

इसी का फायदा उठाकर पुलिस **24 घंटे** के नियम से बचने की कोशिश करती थी।

3. दोनों में मूल अंतर (पुलिस की नजर में)

पैमाना	गिरफ्तारी (Arrest)	हिरासत (Custody)
औपचारिकता	यह एक औपचारिक रिकॉर्डेड प्रक्रिया है, जिसमें 'अरिस्ट मेमो' बनता है।	यह शारीरिक नियंत्रण या निगरानी है, जो औपचारिक गिरफ्तारी से पहले या दौरान भी हो सकती है।
शुरुआत	यह तब होती है जब अपराध का आरोप तय करके कानूनी कार्रवाई शुरू होती है।	यह पुलिस द्वारा पूछताछ, छानबीन या शक के आधार पर व्यक्ति को रोकने मात्र से शुरू हो सकती है।
मजिस्ट्रेट के सामने पेशी	इसमें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।	पुलिस पहले इसे गिरफ्तारी नहीं मानकर 24 घंटे के नियम से बचने का प्रयास करती थी।

4. सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार: ये दोनों अब किस प्रकार एक समान माने जाएंगे?



सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के इस बहाने ("हमने उसे गिरफ्तार नहीं किया, केवल हिरासत में रखा हैं") को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट और कड़ा रूख यह है कि **कानून की नजर में हिरासत और गिरफ्तारी एक ही बात हैं।**



शारीरिक स्वतंत्रता का हनन ही 'गिरफ्तारी' है:

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जैसें ही पुलिस किसी व्यक्ति को उसके मर्जीं के खिलाफ रोकती है, थाने लाती है, या उसकी घूमने-फिरने की स्वतंत्रता **(Personal Liberty - Article 21)** को छीनती है, वह कानूनी रूप से **'गिरफ्तारी'** ही मानी जाएगी, भले ही पुलिस उसे कागजो में गिरफ्तारी न कहै।



24 घंटे का नियम हर हाल में लागू:

पुलिस अब यह कहकर नहीं बच सकती कि "व्यक्ति को सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में बैठाया है, इसलिए **24 घंटे** का नियम लागू नहीं होता।"

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जिस पल पुलिस ने किसी व्यक्ति को अपनी निगरानी में ले लिया (यानी हिरासत में ले लिया), उसी पल से 24 घंटे की समय-सीमा शुरू हो जाती है। इसके बाद उसे **मजिस्ट्रेट** के सामने पेश करना ही होगा।



मानवाधिकार और डी.के. बसु के नियम लागू:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस थाने में बैठाया जाता है या उसकी स्वतंत्रता सीमित की जाती है, तो उसे 'हिरासत' मानकर भी **डी.के. बसु दिशानिर्देशों** (जैसे अरेस्ट मेमो, परिवार को सूचना, मेडिकल चेकअप) का पालन करना होगा। पुलिस केवल 'हिरासत' शब्द का इस्तेमाल करके संवैधानिक सुरक्षा उपायों से नहीं बच सकती।

Thanks For Watching

Learn
Share
Grow
Together ♡

Better
Students
Brighter
Tomorrow

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Result Mitra

Subscribe Now

Stay Connected



